आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362 266
कॉर्पोरेट कार्यालयः आर टेक पार्क, 12वीं मंजिल, नीरलोन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव ईस्ट- मुंबई - 400063

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (1) देखें]

आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बीच दिनांक 11.03.2024 की समामेलन योजना के माध्यम से हुए समामेलन, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण - अहमदाबाद द्वारा 24.03.2025 को पारित आदेश में विधिवत दर्ज किया गया है, के कारण नीचे अनुसूची ए में उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा शुरू की गई सभी सरफेसी कार्यवाइयां, समामेलित कंपनी 'आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड' को स्थानांतरित मानी जाती हैं।

तदनुसार, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांक की मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों (नाम और पते नीचे उल्लिखित हैं), को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि और उस पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया थो।

यहाँ नीचे उल्लिखित ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारकों को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से यहाँ नीचे उल्लिखित ऋणधारकों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड (एबीसीएल) के चार्ज के अधीन होगा ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र. सं.	ऋणधारक(कों) का नाम	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि	अचल संपत्ति (गिरवी रखी गई संपत्तियां) का विवरण	कब्जे की तिथि
1	1.मैसर्स खान इंडस्ट्रीज, प्रोप्राइटर श्री इरशाद अहमद के माध्यम से 2. श्री इरशाद अहमद,पुत्र श्री मोहम्मद अय्यूब 3. श्रीमती सलमा खातून, पत्नी श्री इरशाद अहमद) 4. श्री मुरसलीन,पुत्र श्री मोहम्मद अय्यूब ऋण खाता सं.: ABYAMSTS000000714640	06-08-2026 एवं रु. 45,21,255/- 06-08-2026 तक	औद्योगिक फैक्टरी, क्षेत्रफल 08 कनाल, 06 मरला, जो खेवट नं. 30, खतौनी नं. 38, खसरा नं. 17//1/2/2 (3-12), 2/2 (4-0), 3/1/2 (0-14), किनी 03 में शामिल है, जो मौजा मुकरमपुर, एच.बी. नं. 119, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर में स्थित है, का संपूर्ण भाग तथा हिस्सा	19.10.2026 (सांकेतिक)

दिनांकः 20.10.2026, स्थानः यमुनानगर

हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी,आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः 27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032
शाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी - 221010
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

जेडआरएम - उमेश सिंह चौहान - 9838202386 • आरएलएम - बृजेश अवस्थी - 9873277495 • आरआरएम - गौरव दूबे - 9696658882

परिशिष्ट- IV-ए [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट - IV A) [नियम 8(6)]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद ''अधिनियम'') के तहत हिंदूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय (हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड-27, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032) और शाखा कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड- द्वितीय मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी - 221010 के अधीन बंधक रखी अचल संपत्ति की बिक्री।
जबकि एचएचएफ के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित ऋण संख्या में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और बकाया राशि की वसूली के लिए इन्हें ''जैसा ही जहां है'' तथा ''जो है यही है'' के आधार पर बेचने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com एवं auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	22.11.2026, 11:00 बजे से 14:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	25.11.2026, 5 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि/समय	27.11.2026, 11:00 बजे से 13:00 बजे तक

क्र.सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि तथा राशि / तिथि तक कुल बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000332, 1. श्री-मनोज कुमार दुबे (कर्जदार), 2. श्रीमती- शकुंतला (सह-कर्जदार), दोनों निवासीः मझगवा खुर्द, सेमीअर्बन, जौपुर उत्तर प्रदेश, भारत, 222146।	24-04-2025 तथा रु. 8,20,377/- रु. 8,20,377/- तिथि 24-04-2025	21-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2617000/- रु. 261700/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय मकान, जो आराजी संख्या-312 के एक हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 0.051 हेक्टेयर है। यह मौजा- मझगांवा खुर्द, परगना- बयालशी, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश (पिनः 222146) में स्थित है। दिशा/सीमाएं- उत्तर में श्याम शंकर का मकान, दक्षिण में खड़ंजा सड़क, पूर्व में राजकुमार का मकान और सड़क, पश्चिम में अनिल की जमीन।			
2.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000047, 1.श्रीमान. विनय कुमार पुत्र मराछू प्रसाद (कर्जदार), 2. मराछू प्रसाद पुत्र लाल जी साव (सह-कर्जदार), 3. पिंकी पत्नी विनय कुमार (सह-कर्जदार), सभी का पता : नवाजगंज, शिकारगंज, चकिया, जिला चंदौली उत्तर प्रदेश, भारत-232103	24-03-2024 तथा रु. 8,94,925/- रु. 8,94,925/- तिथि 24-03-2024	25-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 3313000/- रु. 331300/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय संपत्ति, जो आराजी संख्या-94 (खाता संख्या-90) के एक हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 54,540 वर्ग फुट है। यह मौजा- नवाजगंज, शिकारगंज, चकिया, जिला- चंदौली, उत्तर प्रदेश (पिनः 232103) में स्थित है। दिशा/सीमाएं- उत्तर में 30 फुट चौड़ी तारकोल (डामर) सड़क, दक्षिण में विक्रेता की जमीन, पूर्व में साबिर अहमद का मकान, पश्चिम में नोहान लाल का मकान।			
3.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000130, 1.श्री वीरेंद्र कुमार पुत्र अर्जुन राम (कर्जदार), 2. श्रीमती मालती देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार (सह-कर्जदार), दोनों निवासीः - 3. ग्राम- बलिया कम्हरिया चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत - 232106	24-02-2025 तथा रु. 10,95,414/- रु. 10,95,414/- तिथि 24-02-2025	24-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2437000/- रु. 243700/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय संपत्ति, जो आराजी संख्या-313 के एक हिस्से में स्थित है। यह मौजा- बमहनियावां, परगना- महैच, जिला- चंदौली, उत्तर प्रदेश (पिनः 232106) में स्थित है। दिशा/सीमाएं- उत्तर में राम जी, सालिक आदि का मकान, दक्षिण में धर्मपाल का मकान, पूर्व में दाता (डोनर) की शेष जमीन, पश्चिम में 14 फुट चौड़ी सड़क।			
4.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000362, 1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री राजबंश सहाय (कर्जदार), 2. श्रीमती रंजू श्रीवास्तव पत्नी श्री मुकेश कुमार (सह-कर्जदार), दोनों निवासी - प्रतापपुर मजावर फतेहपुर, सेमीअर्बन, चंदौली, उत्तर प्रदेश - 232104	12-05-2025 तथा रु. 9,49,834 /- रु. 8,00,701/- तिथि 12-05-2025	26-08-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2430000/- रु. 243000/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय भूखंड (प्लॉट), जो आराजी संख्या-348 'क' के एक हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 126.39 वर्ग मीटर है। यह मौजा- प्रतापपुर, परगना- मझवार, तहसील- सदर, जिला- चंदौली, उत्तर प्रदेश (पिनः 232104) में स्थित है। दिशा/सीमाएं- उत्तर में मुदस्सिर जमाल का मकान, दक्षिण में अन्य लोगों के मकान, पूर्व में आराजी के हिस्से में स्थित मकान, पश्चिम में 15 फुट चौड़ी सड़क।			
5.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000545, 1. श्री मुन्ना कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद विश्वकर्मा (कर्जदार), 2. श्रीमती नीतू शर्मा पत्नी श्री मुन्ना कुमार विश्वकर्मा (सह-कर्जदार), दोनों निवासी - मालवी नगर, सैदपुर, सेमीअर्बन, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 233304	14-06-2025 तथा रु. 14,27,176/- रु. 14,27,176/- तिथि 14-06-2025	16-09-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2018000/- रु. 201800/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः मौजा अरजीगंज, परगना व तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233304 में स्थित, अरजी संख्या 17/6 के एक हिस्से में एक आवासीय मकान है, जिसका क्षेत्रफल 20.85 वर्ग मीटर है। दिशा/सीमाएं- पूर्वः सड़क (नई सड़क), पश्चिमः नीलम विश्वकर्मा का मकान, उत्तरः दया शंकर का मकान, दक्षिणः हरि विश्वकर्मा की दुकान।			
6.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000291 तथा UP/KNP/VRSI/A000002076, 1. श्री सतेंद्र कुमार निषाद (कर्जदार), 2.श्री. शामू जी (सह-कर्जदार), 3.श्रीमती मिर्जा देवी (सह-कर्जदार), सभी निवासी - धर्मपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत - 222107	15-07-2025 तथा रु. 21,36,237/- रु. 21,36,237/- तिथि 15-07-2025	08-10-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 2771000/- रु. 277100/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः मौजा धर्मपुर, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222107 में स्थित, अराजी संख्या 1609 के एक हिस्से में एक आवासीय मकान है, जिसका क्षेत्रफल 232.34 वर्ग मीटर है। दिशा/सीमाएं- पूर्वः संतोष व अन्य की भूमि, पश्चिमः शंभू व अन्य की भूमि, उत्तरः ग्रामीण सड़क, दक्षिणः संतोष की भूमि (अराजी का शेष भाग)।			
7.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000179, 1. श्री शेख अकबर पुत्र शेख गुफ्फार (कर्जदार), 2. श्रीमती फुलजहाँ बेगम पत्नी शेख अकबर (सह-कर्जदार), दोनों निवासीः - वार्ड नंबर 11 चुड़िहारी मोहाल, गोपीगंज, संत रविदास नगर भदोही, उत्तर प्रदेश - 221303	24-06-2024 तथा रु. 9,49,834 /- रु. 9,49,834 /- तिथि 24-06-2024	18-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1692000/- रु. 169200/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः मौजा जोगीनाकास, तहसील ज्ञानपुर, जिला संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश-221303 में स्थित, अरजी संख्या 228 के एक हिस्से में एक आवासीय संपत्ति है, जिसका क्षेत्रफल 677 वर्ग फुट है। दिशा/सीमाएं- पूर्वः 8 फीट प्रस्तावित सड़क, पश्चिमः भूपेंद्र बहादुर सिंह की भूमि, उत्तरः वफातन बेगम की भूमि, दक्षिणः मिराज अहमद की भूमि।			
8.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000081, 1. श्री श्याम सिंह यादव पुत्र श्री सोमारू राम यादव (कर्जदार), 2. श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री सोमारू राम यादव (सह-कर्जदार), दोनों निवासी - मकान नंबर 212, सिकटिया, परशुरामपुर, मुगलसराय, हनुमान मंदिर के पास, चंदौली, उत्तर प्रदेश - 232101	06-06-2025 तथा रु. 11,10,813/- रु. 11,10,813/- तिथि 06-06-2025	18-09-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 3782000/- रु. 378200/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः मौजा परशुरामपुर, परगना मवई, तहसील मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश-232101 में स्थित, अराजी संख्या 66/1 और 70/1 के एक हिस्से में एक आवासीय मकान है, जिसका क्षेत्रफल 252.79 वर्ग मीटर है। दिशा / सीमाएँ- पूर्वः मुन्नी यादव और अन्य की जमीन, पश्चिमः मेवालाल यादव और अन्य की जमीन, उत्तरः जय सिंह की जमीन, दक्षिणः विक्रेता की जमीन।			
9.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000205, 1. श्री अभिषेक शुक्ला पुत्र श्री जगदीश शुक्ला (कर्जदार), 2. श्री जगदीश शुक्ला पुत्र श्री शिवानंद शुक्ला (सह-कर्जदार), 3. श्रीमती पिंकी शुक्ला पुत्र श्री अभिषेक शुक्ला (सह-कर्जदार), सभी निवासी - चंदापुर, सेमीअर्बन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221001	14-06-2025 तथा रु. 23,97,073/- रु. 23,97,073/- तिथि 14-06-2025	19-09-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 4110000/- रु. 411000/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः शुभम अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित एक आवासीय फ्लैट (नंबर 301), जिसका क्षेत्रफल 87.36 वर्ग मीटर है। यह मौजा सराय सुरजा, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, ज़िला वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001 में स्थित है। दिशा / सीमाएँ- पूर्वः सेटबैक अपार्टमेंट और कॉलोनी रोड, पश्चिमः अपार्टमेंट का कॉमन पैसेज (रास्ता), उत्तरः मकान नंबर 13/209-इ-69 (लक्ष्मी देवी), दक्षिणः मकान नंबर 13/209-बी-70 (डी.वी. सिंह)।			
10.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000190, 1. श्रीमती सेराज खान (कर्जदार), 2. श्रीमती रेहाना बेगम (सह-कर्जदार), दोनों निवासीः - नई बस्ती, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत, 232101	19-08-2024 तथा रु. 11,011,87 /- रु. 11,011,87/- तिथि 19-08-2024	17-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1581000/- रु. 158100/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय मकान, जो मौजा-नई बस्ती, मुगलसराय, चंदौली (अर्ध-शहरी क्षेत्र), एक्सिस बैंक के पास, उत्तर प्रदेश, भारत-232101 में स्थित है। दिशा / सीमाएँ- उत्तरः 5 फीट चौड़ी पक्की गली (अकरम खान के मकान की ओर), दक्षिणः मिराज अहमद की जमीन, पूर्वः मिराज का मकान और शेष हिस्सा (मकान नंबर 166), पश्चिमः 8 फीट चौड़ा पक्का रास्ता (अन्य लोगों की जमीन की ओर)।			
11.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000142, 1. श्रीमती ललिता देवी पत्नी-श्री-शिव (कर्जदार), पता-घर नंबर-24/आई(2), स्टेशन कॉलोनी, महमूदपुर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत - 232101. 2. श्री धरम शिव कुमार पुत्र श्री शिव कुमार (सह-कर्जदार), पता-मकान नंबर-1531, स्टेशन कॉलोनी, महमूदपुर, मुगलसराय, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत - 232101	07-11-2025 तथा रु. 16,28,548/- रु. 16,28,548/- तिथि 07-11-2025	09-01-2026 सांकेतिक कब्जा	रु. 2020000/- रु. 202000/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय संपत्ति, जो आराजी नंबर 57, खाता नंबर 00559 के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्रफल 63.174 वर्ग मीटर (या 680 वर्ग फीट) है। यह मौजा महमूदपुर, परगना मवाई, तहसील मुगलसराय, ज़िला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत-232101 में स्थित है। दिशा / सीमाएँ- उत्तरः राम जी, सालिक आदि का मकान, दक्षिणः धर्मपाल का मकान, पूर्वः दाता (डोनर) की शेष जमीन, पश्चिमः 14 फीट चौड़ी सड़क।			
12.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000124 एवं CO/CPC/CPOF/A000005561, 1.सुश्री। शकीला बेगम (कर्जदार), 2. श्री मोहम्मद फारुक, दोनों निवासीः - गांव- सत पोखरी मुगलसराय चंदौली, मुगलसराय, एसबीआई एटीएम के पास, सेमीअर्बन, उत्तर प्रदेश, भारत - 221001	24-02-2025 तथा रु. 1095414/- रु. 1095414/- तिथि 24-02-2025	17-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1635000/- रु. 163500/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय संपत्ति, आराजी संख्या 126/24, मौजा सतपोखरी, परगना राल्हूपुर, तहसील मुगलसराय, जिला चंदौली - 221001। दिशा/सीमाएं- उत्तर में राम जी, सालिक आदि के घर; दक्षिण में धर्मपाल का घर; पूर्व में दाता (डोनर) की शेष भूमि; पश्चिम में 14 फीट चौड़ी सड़क।			
13.	ऋण खाता संख्या UP/VNS/CNDL/A000000166, 1.श्री सूर्यांश प्रसाद गुप्ता (कर्जदार), 2. श्रीमती विशाल गुप्ता (सह-कर्जदार), दोनों निवासीः - वार्ड नंबर 02, शांति नगर, चंदौली, सेमीअर्बन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 232104	24-02-2025 तथा रु. 14,96,422/- रु. 14,96,422/- तिथि 24-02-2025	11-07-2025 सांकेतिक कब्जा	रु. 1605000/- रु. 160500/- रु. 10,000/-
	अचल संपत्ति का विवरणः एक आवासीय घर, जो आराजी संख्या 286 के एक हिस्से में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट है। यह मौजा चंदौली, परगना मझवार, तहसील व जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश - 232104 में स्थित है। दिशा/सीमाएं- पूर्व में 8 फीट चौड़ी कच्ची सड़क; पश्चिम में अधाशंकर की भूमि; दक्षिण में प्रथम पक्ष (फर्स्ट पार्टी) का शेष हिस्सा।			

भुगतान की विधिः- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वाराणसी में देय होगा।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तेः - 1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर- 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा -122003, (सहायता लाइन नंबरः +91-124-4302000), ईमेलः Support@bankeauctions.com, मोबाइल नंबरः 7291981124/1125/1126), श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नंबरः 7080804466 ईमेलः Mithalesh.kumar@c1india.com, delhi@c1india.com से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com तथा पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए।। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से 03 जुलाई, 2026 तक देय होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के लिए देय डिमांड ड्राफ्ट की राशि एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी - 221010 को संबोधित करके 3 जुलाई, 2026 को 3:00 बजे अप. तक जमा करनी होगी। ''ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है)'' लिखा होना चाहिए। 10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज़ लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर-से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई-नीलामी कार्यवाही के समापन के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को अपने द्वारा लगाई गई अंतिम बोली राशि की पुष्टि ई-मेल के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय संख्याः हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड - दूसरी मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी - 221010 और सेवा प्रदाता दोनों को करनी होगी, ताकि उन्हें ई-नीलामी में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 14. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बोली लगाए जाने वाले दिन ही जमा करना होगा एवं शेष 75% बोली राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में करना होगा। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 1% टीडीएस (विक्रय राशि में से) के रूप में भुगतान करना होगा और टीडीएस प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी को जमा करना होगा। इसके बाद, अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 15 कार्यदिवसों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, विक्रय मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% कटौती के बाद) जमा करनी होगी, और ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, डी-59/103, डी-4, आशा कुंज, महमूरगंज रोड, सिगरा, वाराणसी - 221010 से, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com पर संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिनों का नोटिस भी है।

दिनांकः 20.10.2026, स्थानः वाराणसी

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

Aavas — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अतः ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाइनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
दिलीप कुमार, प्रीति प्रीति खाता सं. 231233603185331	6 अगस्त 2026 ₹ 1743520/- 4 अगस्त 2026	प्लॉट नं. 47, ग्राम रामनगर, गोपामऊ, तहसील व जिला हरदोई उ.प्र. 241001 **क्षेत्रफल 2700 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 15 अक्टूबर 2026
सुनील कुमार प्रजापति, रेखा रेखा, सुरेन्द्र पाल खाता सं. 251233604958051	6 अगस्त 2026 ₹ 335570/- 4 अगस्त 2026	प्लॉट नं. 2382, गांव नयागोवन, हबीबपुर परगना, गोपामऊ, तहसील व जिला हरदोई, उ.प्र. 241001 **क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 15 अक्टूबर 2026
बुद्धसेन बुद्धसेन, शकुन्तला गुप्ता खाता सं. 251226005286475	6 अगस्त 2026 ₹ 1083447/- 4 अगस्त 2026	गांव जगत में स्थित एक प्लॉट का भूखण्ड, खेड़ा बझेरा, तहसील तिलहर, व जिला शाहजहांपुर, उ.प्र. **क्षेत्रफल 185.53 वर्ग मीटर**	सांकेतिक कब्जा दिनांक 15 अक्टूबर 2026

स्थान : उत्तर प्रदेश दिनांक : 20-10-2026

प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

आरबीएल बैंक लिमिटेड

RBL BANK

प्रशासनिक कार्यालयः प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001
शाखा कार्यालयः भूतल , बिल्डिंग नंबर 01, मोदी मिल्स के सामने, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 3, नई दिल्ली-110020

सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे बताए गए उधारकर्ता/गारंटर/गिरवी रखने वाले (मॉर्गेजर) ने बैंक से ली गई क्रेडिट/लोन सुविधाओं के मूलधन और ब्याज को चुकाने में चूक की है और उनके ऋण खातों को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें "वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002'' (सरफेसी एक्ट) की धारा 13(2) के तहत उनके आखिरी ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे।

क्र. सं.	उधारकर्ता,सह-उधारकर्ता/गारंटरों/ गिरवी रखने वाले का नाम और पता	ऋण खाता सं.	संपत्ति का विवरण / उन सुरक्षित संपत्ति का पता जिन पर कार्रवाई की जानी है	नोटिस की तारीख / देय राशि (रु. में)
1.	1. **श्री संदीप,** मकान नंबर 1213, बैंक वाली गली, विकास नगर, नांगल खेड़ी, पानीपत, हरियाणा 132103 **यहाँ भीः** श्री संदीप, 79 माइल स्टोन ढाबा, अनाज मंडी, पानीपत, हरियाणा 132103 2. **श्रीमती रीता (पत्नीः संदीप),** मकान नंबर 1213, नांगल खेड़ी (31), पानीपत, हरियाणा 132103 3. **श्री प्रदीप,** मकान नंबर 1213, बैंक वाली गली, विकास नगर, नांगल खेड़ी, पानीपत, हरियाणा 132103	809011518531	संपत्ति आईडी नंबर पी 03700171229, जिसका क्षेत्रफल लगभग 117 वर्ग गज (यानी 4 मरला) है। यह सम्पत्ति तरफ मखदूमजादगान, आबादी डावर कॉलोनी, अशोक विहार कॉलोनी के पास, तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा में स्थित 7 कनाल 5 मरला जमीन में से 4/145 हिस्सा है, जो खेवट नंबर 526, खतौनी नंबर 581, रेक्टेंगल नंबर 87, किला नंबर 3/1 (0-15) और 3/2 (6-10) (कुल 2 किते) में शामिल है। इस पर बने मकान का कवर्ड एरिया 1053 वर्ग फुट है।	16-10-2026, रु. 32,02,284.28 (बत्तीस लाख दो हजार दो सौ चौरासी रुपये और अट्ठाइस पैसे)। इसके साथ ही अनुबंध के अनुसार ब्याज (पूरा भुगतान होने तक) और इस पर हुए अन्य खर्च भी देय होंगे।

ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटर(रों)/मॉर्गेजर(रों) (जहाँ भी लागू हो) को एतद्वारा कहा जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर, 60 दिन पूरे होने के बाद सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन उन अधिकारों और उपायों पर असर डाले बिना किया जा रहा है जो कानून के तहत उक्त लोन/सुविधा के उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/मॉर्गेजर(रों) के खिलाफ बैंक को उपलब्ध हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, आपको ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्ति को बेचने, उसका निपटान करने, उसका लेन-देन करने या उसे बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने से रोका गया है/मनाही है।

स्थानः पानीपत, हरियाणा
दिनांक : 20-10-2026

अधिकृत अधिकारी,
आरबीएल बैंक लिमिटेड

अवांस फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड

AVANSE FINANCIAL SERVICES

पंजीकृत कार्यालयः 4थी मंजिल, टाइम्स स्क्वायर, अंधेरी-कुर्ला रोड, गमदेवी, मरोल, अंधेरी ईस्ट, मरोल नाका, मुंबई 400 059
शाखाः पहली मंजिल, वीडियोकॉन टावर, ई3/15 ब्लॉक ई3, झंडेवालन एक्सटेंशन, झंडेवालन, दिल्ली 110055

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

आप, उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में अधिक विशेष रूप से वर्णित है, ने नीचे दी गई तालिका में अधिक विशेष रूप से वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियों ('सुरक्षित परिसंपत्तियां') को बंधक रखकर **अवांस फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड ('अवांस')** से ऋण सुविधा (सुविधाओं) का लाभ उठाया है और आप नीचे दिए गए लोग अवांस के साथ निष्पादित ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के रूप में खड़े हुए थे।
ऋण राशि के नियमित पुनर्भुगतान में लगातार चूक के कारण, ऋण खाता संख्या **DELCE00635436** के तहत आपके ऋण को **08-10-2026** तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अवांस, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**'सरफेसी अधिनियम'**) के तहत एक सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए, आप, उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में अधिक विशेष रूप से वर्णित है, को हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध आपके अंतिम ज्ञात पतों पर पावती देय पंजीकृत डाक (R.P.A.D) के माध्यम से सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस (**'नोटिस'**) भेजा था, जिसमें नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख तक अर्जित होने वाले निरंतर ब्याज के साथ नोटिस में उल्लिखित बकाया ऋण राशि के पुनर्भुगतान की मांग की गई थी। इसलिए, उक्त नोटिस की सामग्री को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पढ़ते हुए आप सभी पर वैकल्पिक सेवा के रूप में इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, सुरक्षित परिसंपत्तियों, मांग नोटिस का विवरण, और सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी उपर्युक्त नोटिस में दावा की गई / मांगी गई बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

ऋणी एवं सह-ऋणीयों के नाम	ऋण स्वीकृत राशि (भारतीय रुपयों में)	मांग सूचना दिनांक	सुरक्षित अस्ति का विवरण	कुल बकाया राशि (भारतीय रुपयो में)
1. केशव दयाल राजेश्वरी देवी एजुकेशन सोसायटी (इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा) 2. हर्षित सक्सेना 3. संतोष कुमार सक्सेना 4. आरती सक्सेना	Rs. 78,51,944/- (रुपये अठहत्तर लाख इकावन हजार नौ सौ चवालीस मात्र)	14.10.2026	(1) खसरा नंबर 113 पर स्थित संपत्ति का संपूर्ण अधिकार, शीर्षक और हित, जो कि ग्राम सहसापुर, परगना, तहसील एवं जिला सीतापुर, तहसील एवं जिला सीतापुर में स्थित है। क्षेत्रफल - 0.203 हेक्टेयर। **निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत** : उत्तरः बाग गुरुचरण (विक्रेता का प्लॉट), पूर्व : चक मार्ग एवं अख्तर नवाज की भूमि / रास्ता 16 फीट, पश्चिमः बाग सालिकराम / डॉ. संतोष की भूमि, दक्षिणः विक्रेता का खेत / विक्रेता का प्लॉट। (2) खसरा नंबर 3, जो कि ग्राम सहसापुर, परगना, तहसील एवं जिला सीतापुर, तहसील एवं जिला सीतापुर में स्थित है। क्षेत्रफल - 64.12 वर्ग फीट। **निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गतः** उत्तरः बाग गुरुचरण (विक्रेता का प्लॉट), पूर्व : चक मार्ग एवं अख्तर नवाज की भूमि / रास्ता 16 फीट, पश्चिमः बाग सालिकराम / डॉ. संतोष की भूमि, दक्षिणः विक्रेता का खेत / विक्रेता का प्लॉट।	Rs. 69,50,995/- (रुपये उनसत्तर लाख पचास हजार नौ सौ पिंच्यान्वे मात्र) 14.10.2026 तक

इसलिए, आपको, उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं को, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह नोटिस दिया जाता है, और आपसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, संबंधित उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अर्जित होने वाले निरंतर ब्याज और लागत के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया जाता है, क्योंकि उक्त राशि ऊपर उल्लिखित तिथि के अनुसार ऋण खाते के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अर्जित होने वाले निरंतर ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अवांस ऊपर दी गई तालिका में वर्णित सुरक्षित परिसंपत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। सरफेसी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से भी नोटिस की तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को इस बीच हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे, बंधक, प्रभार या किसी अन्य माध्यम से ऊपर उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने या उन पर किसी भी प्रकार का भार बनाने से प्रतिबंधित किया जाता है।

ह./

स्थानः सीतापुर (उ.प्र.)
दिनांकः 20.10.2026

कृते अवांस फाईनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
प्राधिकृत प्राधिकारी

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालयः 302, 303, 304, तृतीय तल, एल्डेको कॉरपोरेट चैंबर ।।।, टीसी 58वी, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010

जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने निर्देशित तिथियों को मांग सूचना जारी की गयी थी जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे वर्णित दिनांकों ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते बकाया राशि इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानो के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार / सह-कर्जदार का नाम / ऋण खाता नं.	सम्पत्ति का विवरण / कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1	मोहम्मद शाद्रे आलम (कर्जदार), बद्रे आलम अब्बासी (सह-कर्जदार), । कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 1, शांति नगर, बी 704 बी 43, ऋषि शांत हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 1, शांति नगर, मीरा मीरा रोड, थाना, ठाणे, ठाणे-401107 महाराष्ट्र. LHLUC00001506606	फ्लैट सं. 2, प्रथम तल, प्लॉट सं. डी-97 पर निर्मित, ग्राम राजाजीपुरम आवास एवं विकास परिषद कॉलोनी, लखनऊ 226017, उत्तर प्रदेश सीमाएं: उत्तर - भवन मनोज श्रीवास्तव, दक्षिण - फ्लैट विक्रेता, पूर्व - 5 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - आकाश के लिए खुला / 60 फुट सड़क, कब्जे की तारीख 15-10-2026	11-06-2026 रु. 44,51,712/-	लखनऊ
2	मोहम्मद शाद्रे आलम (कर्जदार), बद्रे आलम अब्बासी (सह-कर्जदार), । कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 1, शांति नगर, बी 704 बी 43, ऋषि शांत हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 1, शांति नगर, मीरा मीरा रोड, थाना, ठाणे, ठाणे 401107 महाराष्ट्र, LHLUC00001506607	फ्लैट सं. 2, प्रथम तल, प्लॉट सं. डी-97 पर निर्मित, ग्राम राजाजीपुरम आवास एवं विकास परिषद कॉलोनी, लखनऊ 226017, उत्तर प्रदेश सीमाएं: उत्तर - भवन मनोज श्रीवास्तव, दक्षिण - फ्लैट विक्रेता, पूर्व - 5 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम - आकाश के लिए खुला / 60 फुट सड़क, कब्जे की तारीख 15-10-2026	11-06-2026 रु. 1,28,900/-	लखनऊ
3	दिव्या पांडे (कर्जदार), संदीप कुमार अवस्थी (सह-कर्जदार), देखरेख सतीश चंद्र अवस्थी, 18/104 लखनऊ फैजाबाद रोड, लोहिया हॉस्पिटल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 उत्तर प्रदेश, LHLUC00001335617	फ्लैट सं. 202, द्वितीय तल, टावर ए, निर्मला पैराडाइज धावा एस्टेट, खसरा सं. 128 और 129 के भाग पर निर्मित, ग्राम धावा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226028। सीमाएं: उत्तर - फ्लैट सं. 201 की दीवार, दक्षिण - सीढ़ियां, पूर्व - बालकनी, पश्चिम - प्रवेश द्वार, कब्जे की तारीख 15-10-2026	18-06-2026 रु. 7,82,924.52/-	लखनऊ
4	भोलू कुमार गौतम (कर्जदार), हरिओम भारती (सह-कर्जदार), फ्लैट नं. नं. 03, भूतल, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 1, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा 201303, LHLUC00001656802	प्रथम तल पर फ्लैट सं. 1, भवन जिसे रिद्धि एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है, प्लॉट सं. डी-97 पर निर्मित, आवास विकास परिषद कॉलोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। सीमाएं: उत्तर - फ्लैट सं. 02, दक्षिण - सीढ़ियां, पूर्व - 6 फुट सड़क और साझा रास्ता, पश्चिम - आकाश के लिए खुला, कब्जे की तारीख 15-10-2026	16-07-2026 रु. 54,35,040/-	लखनऊ
5	भोलू कुमार गौतम (कर्जदार), हरिओम भारती (सह-कर्जदार), फ्लैट नं. नं. 03, भूतल, अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 1, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा- 201303, LHLUC00001656805	प्रथम तल पर फ्लैट सं. 5, भवन जिसे रिद्धि एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है, प्लॉट सं. डी-97 पर निर्मित, आवास विकास परिषद कॉलोनी, राजाजीपुरम, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश सीमाएं: उत्तर - सीढ़ियां, दक्षिण - फ्लैट सं. 07, पूर्व - डॉ. राकेश सिंह का मकान, पश्चिम - लॉबी, कब्जे की तारीख 15-10-2026	16-07-2026 रु. 42,28,549/-	लखनऊ

उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दिया जाएगा।

दिनांकः 20.10.2026,
स्थानः लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

pnb ...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

बीओः ट्रॉपिकल बिल्डिंग, कन्नावट प्लेस, नई दिल्ली (013300)
ईमेलः bo0133@pnb.bank.in

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत]

जैसाकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, ट्रॉपिकल बिल्डिंग, एच-22 कन्नावट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली,2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 28-10-2025 को मांग सूचना जारी कर **ऋणधारको/गारंटर(ओं)/कानूनी वारिसों कामता मिश्रा, गौरव गोस्वामी, तरुण गोस्वामी, अनिल कुमार शर्मा, गौतम संत, देवेंद्र नाथ शर्मा, बिमला शर्मा, अशोक मिश्रा** को उक्त सूचना की तारीख/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित राशि रु. 20,43,404.00 (**रुपये बीस लाख तियालीस हजार चार सौ चार मात्र**) आगे के ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों सहित वापस लौटने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको /गारंटर को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली,2002 के नियम 8(1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 13 अक्टूबर,2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।
ऋणधारक/बंधककर्ता का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/)/गारंटर(ओं)/कानूनी वारिसों और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय **रु.20,43,404.00 (रुपये बीस लाख तियालीस हजार चार सौ चार मात्र)**, जो कि 30-09-2026 तक बकाया थी, पूर्ण भुगतान होने तक आगे के ब्याज, लागत, प्रभारों और खर्चों के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का पताः रिहायशी फ्लैट नं. बीडी 11ए, शालीमार बाग, दिल्ली-110088 का ईएम

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.10.2026

अधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक

फॉर्म संख्या 14
[विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी , दस्ती द्वारा ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा।

कार्यालय-वसूली अधिकारी- I/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी2)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग नोटिस

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस।

टीआरसी /199/2023 — **07-10-2026**

(यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम श्री सुनील सोलंकी और अन्य

प्रति
(सीडी 1) श्री सुनील सोलंकी और अन्य, शाखा कार्यालयः मोती बाग-I, 1, पालिका भवन, हयात रीजेंसी होटल के सामने, नई दिल्ली-201010
यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रु. 40,12,897.67 (अक्षरेः चालीस लाख बारह हजार आठ सौ सत्तानवे रुपये और सड़सठ पैसे मात्र)** की राशि, इसके साथ ही, 01-01-2017 से पूरी वसूली होने तक 9.55% वार्षिक साधारण ब्याज (पेंडेंटलाइट और भविष्य का ब्याज) और रु. 0 (मात्र) की लागत,आप पर (संयुक्त रूप से और अलग-अलग पूर्ण/सीमित) देय हो गई है।
(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।
(3) आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।
(4) आपको एतद्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 07.12.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः
(क) प्रमाण पत्रनिष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।
(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।
मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत,दिया गया आदेश : 07.10.2026

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी2)

फॉर्म संख्या 14
[विनियम 33(2) देखें]
रजि.ए/डी , दस्ती द्वारा ऐसा न करने पर प्रकाशन द्वारा।

कार्यालय-वसूली अधिकारी- I/II
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी2)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग नोटिस

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत नोटिस।

आरसी /241/2026 — **06-10-2026**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (ई-कॉर्पोरेशन बैंक)
बनाम
श्री पीयूष भाटिया

प्रति
(सीडी 1) श्रीमती सुधांशु भाटिया, पत्नी श्री सूरज कुमार भाटिया, निवासीः मकान नंबर 63/बी, न्यू कॉलोनी, रेलवे रोड, फरीदाबाद, हरियाणा (एनआईटी),
(सीडी 2) मैसर्स व्हाइट हाउस (मैसर्स वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन का एक हिस्सा), कार्यालयः प्लॉट नंबर 08, सेक्टर पी 1 और 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश तथा डी-302, सेक्टर-10, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301
यह सूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी 2) द्वारा TA/957/2023 में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **37,35,739/- रुपये (सैंतीस लाख पैंतीस हजार सात सौ उनतालीस रुपये)** की राशि, इसके साथ ही, 07-07-2018 से पूरी वसूली होने तक 9.65% वार्षिक साधारण ब्याज (पेंडेंटलाइट और भविष्य का ब्याज) और **40,000/- रुपये (चालीस हजार रुपये)** की लागत,आप पर (संयुक्त रूप से और अलग-अलग पूर्ण/सीमित) देय हो गई है।
(2) आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर उक्त वसूली बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार की जाएगी।
(3) आपको एतद्वारा आदेश दिया जाता है कि आप शपथ पत्र पर सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करें।
(4) आपको एतद्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 20.01.2027 को पूर्वाह्न 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
(5) पूर्वोक्त राशि के अलावा, आप निम्नलिखित का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः
(क) प्रमाण पत्रनिष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।
(ख) इस नोटिस एवं वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही की सेवा के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क एवं व्यय।
मेरे हाथ और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत,दिया गया आदेश : 06.10.2026

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली (डीआरटी2)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
फोनः 011 49267000, टोल फ्री नंबरः 1800 212 8800, ईमेलः customer.care@herohfl.com
वेबसाइटः www.herohousingfinance.com, सीआईएनः U65192DL2016PLC30148
संपर्क पताः ए-6, तीसरी मंज़िल, सेक्टर-4, नोएडा- 201301

मांग नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले से ही अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर यहां सूचीबद्ध ऋणी/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) (सभी एक साथ या एक साथ "बाध्यकारी" के रूप में संदर्भित)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित मांग नोटिस/सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने का आह्वान करते हैं। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा प्रदान की गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वाधिकारियों/कानूनी उत्तराधिकारियों/ कानूनी प्रतिनिधियों, यदि वे चाहें, तो अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त दायित्वाधिकारियों (यों)/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधि(यों) को संबंधित नोटिस/सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के भीतर एचएचएफएल को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई संबंधित तारीखों से नीचे दिए गए ब्याज के साथ उनके संबंधित नामों के साथ नीचे दी गई राशि, कॉलम (डी) में भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों के साथ पढ़ें, यदि कोई, उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा निष्पादित गया है। ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूति आस्तियों को क्रमशः उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता संख्याः	दायित्वाधिकारी (ओं)/ कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि(ओं) का नाम	नीचे की तारीखों के अनुसार कुल बकाया देय रु. में	मांग सूचना की तिथि / एनपीए की तिथि
HHFLUCLAP 24000352338	शबाना (मो. शब्बीर की पत्नी), मो. शब्बीर, एज़ा एंटरप्राइजेज	13-10-2026 तक रु. 12,75,010/-	14-10-2026 04-10-2026
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियो/बंधक संपत्तियों का विवरणः शाहपुर गाँव, परगना,तहसील और जिला लखनऊ ,उत्तर प्रदेश में स्थित 425 वर्ग फुट (यानी 39.475 वर्ग मीटर) के प्लॉट पर बना आवासीय मकान, जो खसरा नंबर 198 के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः गुप्ता जी का प्लॉट, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः पुत्तन का प्लॉट, दक्षिणः मोहम्मद जाबिर का प्लॉट।			
HHFALLLAP24000354581	शिव प्रकाश, रंजना देवी (शिव प्रकाश की पत्नी)	13-10-2026 तक रु. 9,78,980/-	14-10-2026 04-10-2026
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों /अचल संपत्तियो/बंधक संपत्तियों का विवरणः ग्राम लेहरा, तहसील और परगना सोरांव जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा नंबर 404 के अंतर्गत आने वाली 132.44 वर्ग मीटर की संपत्ति। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः बैजनाथ शर्मा आदि का खेत, पश्चिमः जीतलाल का प्लॉट, उत्तरः विक्रेता का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिणः लेहरा और श्रीनिवास की दुकान से मलक चौधरी तक जाने वाली 16 फीट चौड़ी पक्की सड़क।			

* ऊपर उल्लेखित संबंधित डिमांड नोटिस में विशेष रूप से कथित दर पर अतिरिक्त ब्याज, आगे ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि।यदि उक्त दायित्वाधिकारी (यों) द्वारा एचएचएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो एचएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति (यों)/ अचल संपत्ति (संपत्तियों) के खिलाफ और परिणामों के संबंध में उक्त दायित्वाधिकारी (यों)/कानूनी वारिसों के कानूनी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के जोखिम पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगा।
उक्त बाध्यताकारियों/ कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि (यों) को उक्त अधिनियम के तहत एचएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत बनाए गए निर्मित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ता / -अधिकृत अधिकारी, कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड